

संख्या
दिनांक.....

कार्यालय आदेश

मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में शैक्षणिक सत्र-2025-2026 में रैगिंग की रोकथाम एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एण्टी रैगिंग समिति गठित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है :-

1.	प्रो0 राकेश द्विवेदी	कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	अध्यक्ष, एण्टी रैगिंग समिति
2.	प्रो0 वी0के0 शर्मा	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
3.	प्रो0 अनूप कुमार सिंह	मुख्य अभिरक्षक, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावास, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
4.	प्रो0 ओ0पी0 शुक्ला	अपर कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
5.	प्रो0 मोहम्मद अहमद	अपर कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, द्वितीय परिसर, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
6.	डा0 कमर इकबाल	अपर कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
7.	डॉ0 राजेश्वर प्रसाद यादव	अपर कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
8.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार	सहायक कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
9.	डॉ0 प्रवीश प्रकाश	सहायक कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
10.	डा0 अन्विता वर्मा	सहायक कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति
11.	इंजी0 हिमांशु कुमार शुक्ला	सहायक कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, द्वितीय परिसर, लखनऊ	सदस्य एण्टी रैगिंग समिति

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या- AA 10389-450

दिनांक- 11/06/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी/इंचार्ज।
4. वित्त अधिकारी, ल0वि0।
5. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0।
6. कुलानुशासक, ल0वि0।
7. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0।
8. मुख्य अभिरक्षक, समस्त अभिरक्षक/अभिरक्षिका, ल0वि0।
9. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0।
10. निदेशक द्वितीय परिसर ल0वि0।
11. एण्टी रैगिंग-समिति के उपरोक्त सदस्यगण।
12. समस्त उपकुलसचिव
13. सहायक कुलसचिव, ल0वि0।
14. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
15. कार्यालय प्रति

11/6/25
कुलसचिव